लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

(स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं लोहिया स्वच्छता योजना)

बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति, ग्रामीण विकास विभाग

बिहार सरकार

विद्युत भवन-2, प्रथम तल, बेली रोड, पटना-800 021, दूरभाष : +91-612-250 4980, फैक्स : +91-612-250 4980 वेबसाइट : www.lsba.bih.nic.in

Ref·No: BRLPS-LSBA/Acctts/01/16/396   दिनांक: 18·10·17

प्रेषक:

बालामुरूगन डी०, भा० प्र० से०
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी– सह– मिशन निदेशक
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान, पटना।

सेवा में,

सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार सरकार।

विषय: स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लोहिया स्वच्छता योजना एवं गंगा कार्य योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किये गए व्यय का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में संसूचित करना है कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), लोहिया स्वच्छता योजना एवं गंगा कार्य योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष 2016–17 के प्रारम्भिक अवधि में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना के द्वारा किया जाता था। बिहार सरकार के संकल्प संख्या 741 दिनांक 01.06.2016 के द्वारा योजना की क्रियान्वयन का दायित्व ग्रामीण विकास विभाग को दिया गया।

विदित हो कि 01.04.2016 से योजना के हस्तांतरण की तिथि तक लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा योजना मद में राशि व्यय किये गये हैं। जिसका अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को अप्राप्त है।

इस क्रम में सूचित करना है कि बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति को जब तक स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), लोहिया स्वच्छता योजना तथा गंगा कार्य योजना में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा किये गये व्यय से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होता है तो निम्न कार्य पूर्ण नहीं कियेजा सकेंगे।

1 वित्तीय वर्ष 2016--17 से संबंधित स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), लोहिया स्वच्छता योजना एवं
गंगा कार्य योजना का अंकेक्षण।
2. सोसायटी का वित्तीय वर्ष 2016–17 के समेकित वितीय विवरणी का अंकेक्षण ।
3. सोसायटी का आयकर रिटर्न दाखिला।
4. केन्द्र सरकार से द्वितीय किश्त के विमुक्ति हेतु अनुरोध।
5. योजनावार वार्षिक उपयोगिता–प्रमाण पत्र।

विदित हो कि सोसायटी का आयकर रिटर्न दाखिला का अंतिम तिथि 31.10.2017 है, जो की अंकेक्षण रिपोर्ट नहीं होने के कारण संभव नहीं हो पायेगा। PHED से अंकेक्षण प्रतिवेदन नही प्राप्त होने के कारण DRDA का भी अंकक्षण पूर्ण नहीं हो सकता है क्योंकि उपरोक्त योजना में PHED का अंतिम सम्पति, दायित्व एवं व्यय का समेकन DRDA के खातों में किया जाना है।

अतः अनुरोध है कि अपने स्तर से लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना को वित्तीय वर्ष 2016–17 में किये गये व्यय की अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र अविलम्ब उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध करने की कृपा की जाय।

विश्वाभाजन

(बालामुरूगन डी०)

ज्ञापांक BRLPS/LSBA/Acctts/01/16/396 दिनांक 18.10.2017

प्रतिलिपि –अजय कुमार सिन्हा, निदेशक, PMU. PHED पटना को सूचनार्थ एवं वित्तीय वर्ष 2016–17 को SBM (G), GAP एवं LSY के व्यय राशि का अंकेक्षण प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अविलंब समर्पित करने हेतु प्रेषित।

(बालामुरूगन डी०)

ज्ञापांक : BRLPS/LSBA/Acctts/01/16/396 दिनांक 18.10.2017

प्रतिलिपि –अपर सचिव सह परियोजना निदेशक, RWSSP, PMU. PHED को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित ।

(बालामुरूगन डी०)